

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०),
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-.....

विषय:-

राज्य में कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु पूर्व से ली गयी योजनाओं के शेष कार्य को पूर्ण कराने के लिए जिला एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा अधियाचित राशि के आलोक में संबंधित कार्यप्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में तृतीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित राशि कुल ₹२०.०० करोड़ (बीस करोड़) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति।

क्र०	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडल का नाम	आवंटित राशि (₹० लाख में)
1	2	3
1	कार्यप्रमंडल-२ बेनीपुर (दरभंगा)	१६०.००
2	कार्य प्रमंडल-१, औरंगाबाद	१००.००
3	कार्य प्रमंडल-१, पटना	८०.००
4	कार्य प्रमंडल-२, शेरघाटी, (गया)	१००.००
5	कार्य प्रमंडल-१, गया	१००.००
6	कार्य प्रमंडल-२, झंझारपुर (मधुबनी)	१००.००
7	कार्य प्रमंडल-२ जगदीशपुर (भोजपुर)	६२.००
8	कार्य प्रमंडल-१, किशनगंज	१२३.००
9	कार्य प्रमंडल-१ शिवहर	१००.००
10	कार्य प्रमंडल-१ समस्तीपुर	१६९.३७
11	कार्य प्रमंडल-२, रोसड़ा (समस्तीपुर)	१००.००
12	कार्य प्रमंडल-२, दानापुर (पटना)	४५.००
13	कार्य प्रमंडल-१, मधुबनी	१००.००
14	कार्य प्रमंडल- १, मधेपुरा	१००.००
15	कार्य प्रमंडल-१, जमई	१५०.००
16	कार्य प्रमंडल-२, सियान	७३.००
17	कार्य प्रमंडल-२, बगहा (प० चम्पारण)	७०.००
18	कार्य प्रमंडल-१, दरभंगा	१५०.००
19	कार्य प्रमंडल-१, सुपौल	६७.६३
20	कार्य प्रमंडल-२, बारसोई (कटिहार)	५०.००
	कुल	२०००.००

(बीस करोड़ रुपये) मात्र

आदेश:- स्वीकृत।

२. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करने का दायित्व संबंधित जिला पदाधिकारी का होगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का संधारण जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से करेंगे।

३. यह राशि वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में मुख्य शीर्ष ४२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-६० अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघुशीर्ष-०५१-निर्माण उपशीर्ष-०१०१ कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु मांग सं०-२२, प्राथमिक ईकाई संख्या-५३-०१ मुख्य निर्माण कार्य तथा राज्य योजना स्कीम-HOM-५४२५ एवं विपत्र कोड संख्या-पी०-४२३५६००५१०१०१ के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

४. यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही है। इसकी निकासी में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-३५४, दिनांक १५.०३.२०१६ में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, गृह विभाग होंगे।
6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यप्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे। वे राशि की निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं०-4989, दिनांक 16.05.2013 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
8. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश सं०-2561, दिनांक 17.04.98 का अनुपालन किया जायेगा।
9. संबंधित कार्यपालक अभियंता आवंटित राशि से संबंधित व्यय विवरणी और उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमित रूप से गृह विभाग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।
10. संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि आवंटित राशि को CTMIS में ऑनलाईन कराते हुए उसकी निकासी सुनिश्चित करेंगे।
11. स्वीकृत राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराते हुए ससमय विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

निबंधित
फैक्स

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 2684 पटना, दिनांक - 16/03/16
प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।
16.03.16